

तमिलनाडु राज्य एवं अन्य

बनाम

अमला अन्नई उच्च माध्यमिक विद्यालय

(2009 की दीवानी अपील संख्या 5855)

28 अगस्त, 2009

[तरुण चटर्जी और आर.एम. लोढ़ा, न्यायमूर्तिगण]

सेवा विधि — कनिष्ठ सहायक के पद की स्वीकृति — विद्यालय को मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय में उन्नत किया गया — विद्यालय प्रबंधन द्वारा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति — तत्पश्चात राज्य सरकार के समक्ष कनिष्ठ सहायक के एक पद की स्वीकृति हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया — विद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश याचिका भी दायर की गई — राज्य सरकार द्वारा अभ्यावेदन अस्वीकृत — उस निर्णय को चुनौती नहीं दी गई — सात वर्ष बाद दूसरी विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की गई — उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा राज्य सरकार को विद्यालय हेतु कनिष्ठ सहायक का एक पद स्वीकृत करने का निर्देश — खंडपीठ द्वारा पुष्टि — इसकी स्थिरता (वैधता) — अभिनिर्धारित : स्थिर नहीं — विद्यालय प्रबंधन ने राज्य सरकार के निर्णय को चुनौती नहीं दी, अतः वही राहत प्राप्त करने हेतु दूसरी विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर नहीं कर सकता था — उच्च विद्यालयों के लिए पदों की स्वीकृति संबंधी मानदंडों वाले शासनादेश लागू नहीं थे — कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति अस्वीकृत पद पर की गई थी — विद्यार्थियों की आवश्यक संख्या पूर्ण नहीं हुई थी — पदों का सृजन एवं स्वीकृति कार्यपालिका का विशेषाधिकार है और न्यायालय स्वयं को पूर्णतः कार्यपालिका संबंधी शक्ति से संपन्न नहीं कर सकते —

तमिलनाडु अल्पसंख्यक विद्यालय (मान्यता एवं अनुदान वेतन) नियम, 1977 — नियम 6(2) — शासनादेश सं. 340, दिनांक 1 अप्रैल, 1992; शासनादेश सं. 245/शिक्षा, दिनांक 21 फरवरी, 1970 ।

इस अपील में विचारार्थ जो प्रश्न उत्पन्न हुआ, वह यह था कि क्या उच्च न्यायालय की खंडपीठ तथा एकल न्यायाधीश, दोनों, अपीलकर्ता संख्या 1 — राज्य सरकार को अपीलकर्ता संख्या 1 — विद्यालय के लिए कनिष्ठ सहायक का एक पद स्वीकृत करने का निर्देश देने में न्यायोचित थे।

अपील स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1.1. एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करने वाला खंडपीठ का निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता। प्रथम दृष्टया, विद्यालय के प्रबंधन ने पहले ही वर्ष 1997 में एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की थी, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि राज्य सरकार तथा उसके अधिकारियों को दिनांक 20 जनवरी, 1997 के उनके अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश दिया जाए, जिसमें कनिष्ठ सहायक के एक पद की स्वीकृति की मांग की गई थी, और उसके अनुसरण में राज्य सरकार ने विद्यालय को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उक्त अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया था। विद्यालय के प्रबंधन ने राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती नहीं दी और इसलिए विद्यालय के लिए यह खुला नहीं था कि वह उसी राहत के लिए दूसरी विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर करे, अर्थात् राज्य सरकार को शैक्षणिक वर्ष 1991-92 से विद्यालय हेतु कनिष्ठ सहायक के एक पद की स्वीकृति देने का निर्देश दिलाने के लिए। विवाद पूर्ववर्ती वाद-चक्र में ही समाप्त हो चुका था और राज्य सरकार के दिनांक 3 जुलाई, 1998 के निर्णय को चुनौती न दिए जाने के कारण दूसरी विनिर्दिष्ट आदेश याचिका उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की जा सकती थी। केवल इस कारण कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा बाद में कुछ और अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए, जिनमें कनिष्ठ सहायक के पद की स्वीकृति के अनुरोध को दोहराया गया था, यह नहीं कहा जा सकता कि दूसरी

विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर करने हेतु कोई नया कारण-कार्यवाही उत्पन्न हुआ। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, उसी राहत के लिए विद्यालय प्रबंधन द्वारा दूसरी विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर करना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र है। [कंडिका 10] [918-जी-एच; 919-ए-जी]

1.2. दिनांक 1 अप्रैल, 1992 का जी.ओ.एम.एस. संख्या 340 बिल्कुल भी लागू नहीं होता। उक्त जी.ओ.एम.एस. जिसमें पदों की स्वीकृति के लिए मानदंड दिए गए हैं, 1987-88 और उससे पहले खोले गए हाई स्कूलों पर लागू होता है। इस मामले में, स्कूल को 1988-89 में हाई स्कूल का दर्जा दिया गया था। [कंडिका 11] [919-जी-एच; 920-ए-बी]

1.3. खंडपीठ तथा एकल न्यायाधीश, दोनों ने तमिलनाडु अल्पसंख्यक विद्यालय (मान्यता एवं अनुदान वेतन) नियम, 1977 के नियम 6 के उपनियम (2) की उपेक्षा और अनदेखी की, जो इस प्रकार है : “मासिक कर्मचारी अनुदान का भुगतान केवल उन योग्य तथा अनुमन्य शिक्षकों के संबंध में किया जाएगा, जो वास्तव में अल्पसंख्यक विद्यालयों में कार्यरत हों और जिनकी नियुक्तियों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा, संबंधित संस्थाओं के लिए स्वीकृत पदों की संख्या के अनुसार, अनुमोदित किया गया हो।” वर्तमान मामले में, विद्यालय प्रबंधन ने आर. को कनिष्ठ सहायक के रूप में ऐसे पद पर नियुक्त किया, जो स्वीकृत नहीं था। प्रबंधन का यह स्पष्टीकरण कि उसे सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की प्रत्याशा में नियुक्त किया गया था, स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। [कंडिका 12] [920-बी-डी]

1.4. संबंधित शासनादेशों में जारी मानदंडों के अनुसार, वर्ष 1990-91 में विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 300 या उससे अधिक होनी चाहिए थी, जबकि उस वर्ष विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या केवल 281 थी। वास्तव में, यह विद्यालय प्रबंधन का मामला भी नहीं है कि वर्ष 1990-91 में विद्यार्थियों की संख्या 300 या उससे अधिक थी। वर्ष 1993-94 तथा उसके बाद के वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या का कोई महत्व नहीं है। उच्च न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की, क्योंकि संबंधित शासनादेशों के अंतर्गत महत्वपूर्ण यह था कि वर्ष 1988-89, 1989-

90 तथा 1990-91 के दौरान विद्यार्थियों की संख्या 300 या उससे अधिक होनी चाहिए थी।
[कंडिका 13] [920-ई-जी]

1.5. उच्च न्यायालय द्वारा शासनादेश संख्या 245/शिक्षा, दिनांक 21 फरवरी, 1970 पर रखा गया भरोसा त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उक्त शासनादेश उन लिपिकों पर लागू था, जो वर्ष 1964 के आसपास पहले से नियुक्त थे, और उसका वर्ष 1988-89 में अस्वीकृत पद पर नियुक्त कनिष्ठ सहायक पर कोई अनुप्रयोग नहीं है। [कंडिका 14] [920-जी-एच; 921-ए]

1.6. उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता संख्या 1 को अपीलकर्ता संख्या 1 — ए.ए.एच.एस. विद्यालय के लिए 1 जून, 1994 से कनिष्ठ सहायक का एक पद स्वीकृत करने का निर्देश देकर त्रुटि की, क्योंकि उसने इस तथ्य की उपेक्षा और अनदेखी की कि पदों का सृजन और स्वीकृति कार्यपालिका का विशेषाधिकार है और न्यायालय स्वयं को पूर्णतः कार्यपालिका संबंधी शक्ति से संपन्न नहीं कर सकते। [कंडिका 15] [921-ए-बी]

दीवानी अपीलीय अधिकारिता : 2009 की दीवानी अपील संख्या 5855 ।

मद्रास उच्च न्यायालय, मदुरै पीठ द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश अपील (एम.डी.) संख्या 103/2008 में दिनांक 18.3.2008 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध।

ई. पद्मनाभन, एस. धनंजयन — अपीलकर्ताओं की ओर से।

सी. सेल्वराजु, मेरी मिट्ज़ी, दीपक जैन, अनिल कौशिक, जी.एस. चौहान, शिव प्रकाश पांडेय — उत्तरदाता की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया

आर. एम. लोढ़ा, न्यायमूर्ति 1. अनुमति प्रदान की जाती है।

2. तमिलनाडु राज्य तथा उसके अधिकारियों ने यह अपील विशेष अनुमति द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2008 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा खंडपीठ ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर विनिर्दिष्ट आदेश अपील को निरस्त कर दिया तथा एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 4 दिसंबर, 2006 को पारित उस

आदेश की पुष्टि की, जिसमें वर्तमान प्रथम अपीलकर्ता को निर्देश दिया गया था कि वह उत्तरदाता संख्या 1 के लिए 1 जून, 1994 से कनिष्ठ सहायक का एक पद स्वीकृत करे।

3. अमला अन्नई हायर सेकेंडरी स्कूल (जिसे आगे "ए.ए.एच.एस. विद्यालय" कहा जाएगा) मूलतः एक मध्य विद्यालय था। ए.ए.एच.एस. विद्यालय को शैक्षणिक वर्ष 1988-89 से, दिनांक 13 जून, 1988 से प्रभावी होकर, उच्च विद्यालय में उन्नत किया गया। मध्य विद्यालय के सभी पद उच्च विद्यालय में समाहित कर लिए गए। विद्यालय को मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय में उन्नत किए जाने के समय विद्यार्थियों की संख्या 300 से कम थी। विद्यालय के प्रबंधन द्वारा उसी दिन, जिस दिन विद्यालय को मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय में उन्नत किया गया, सुश्री रोजरी को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए बिना कनिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्त कर दिया गया। इसके पश्चात विद्यालय प्रबंधन ने सक्षम प्राधिकारी से कनिष्ठ सहायक के एक पद की स्वीकृति हेतु अनुरोध किया, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। उक्त अनुरोध को वर्ष 1991-1992 से आगे भी पुनः दोहराया गया, किन्तु अपीलकर्ताओं की ओर से कोई अनुकूल उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद विद्यालय प्रबंधन ने दिनांक 20 जनवरी, 1997 को राज्य सरकार के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। जब उक्त अभ्यावेदन राज्य सरकार के विचाराधीन था, तब विद्यालय प्रबंधन ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका (डब्ल्यू.पी. संख्या 4536/1997) दायर की। उक्त विनिर्दिष्ट आदेश याचिका का निस्तारण एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर, 1997 को इस निर्देश के साथ किया गया कि वर्तमान अपीलकर्ता दिनांक 20 जनवरी, 1997 के अभ्यावेदन पर विचार करें तथा विद्यालय प्रबंधन को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद उस पर अंतिम आदेश पारित करें।

4. दिनांक 15 अक्टूबर, 1997 के आदेश के अनुपालन में, राज्य सरकार ने विद्यालय द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार किया और दिनांक 3 जुलाई, 1998 के संप्रेषण द्वारा उसे अस्वीकार कर दिया। उसमें यह दर्शाया गया कि जी.ओ.एम्स. सं. 340/शिक्षा दिनांक 1

अप्रैल, 1992 में निर्धारित मानकों के अनुसार वर्ष 1990-91 में विद्यालय की छात्र संख्या 300 से कम थी और इसलिए उक्त जी.ओ. के अधीन विद्यालय की छात्र संख्या बढ़ने पर अशैक्षणिक कर्मचारी उपलब्ध कराना अनिवार्य नहीं था।

5. उपर्युक्त दिनांक 3 जुलाई, 1998 के संप्रेषण को विद्यालय द्वारा चुनौती नहीं दी गई, यद्यपि आगे भी अभ्यावेदन किए गए। लगभग सात वर्ष पश्चात् विद्यालय के प्रबंधन ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ, मदुरै के समक्ष एक अन्य विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की, जिसमें तमिलनाडु सरकार को यह निर्देश देने की प्रार्थना की गई कि शैक्षणिक सत्र 1991-92 से विद्यालय हेतु कनिष्ठ सहायक के एक पद को स्वीकृत किया जाए तथा उस पद पर नियुक्त पदधारी की नियुक्ति को अनुमोदित करते हुए सभी परिणामी लाभ प्रदान किए जाएँ।

6. राज्य सरकार तथा उसके अधिकारियों ने विनिर्दिष्ट आदेश याचिका का दृढतापूर्वक विरोध किया और अन्य बातों के साथ यह प्रतिरक्षा प्रस्तुत की कि संबंधित समय में विद्यालय की छात्र संख्या 300 से कम थी और इसलिए विद्यालय कनिष्ठ सहायक के किसी पद का अधिकारी नहीं था।

7. विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अपने दिनांक 4 दिसम्बर, 2006 के आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट आदेश याचिका का निम्नलिखित निर्देश के साथ निस्तारण किया :

“उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए, जो निर्विवाद है, प्रथम उत्तरदाता को यह निर्देश दिया जाता है कि वह दिनांक 21.02.1970 के जी.ओ.एम्स. सं. 245, शिक्षा विभाग के अनुसार दिनांक 01.06.1994 से याचिकाकर्ता विद्यालय हेतु कनिष्ठ सहायक के एक पद को स्वीकृत करे। प्रथम प्रतिवादी, चतुर्थ प्रतिवादी द्वारा दिनांक 12.10.1994 को की गई संस्तुति तथा जी.ओ.एम्स. सं. 245 दिनांक 21.02.1970 के अनुसार, इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर आवश्यक आदेश पारित करेगा और स्वीकृति प्रदान

किए जाने पर उक्त रोसरी की कनिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित किया जाएगा।”

8. वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा खंडपीठ के समक्ष आंतरिक न्यायालयीय अपील प्रस्तुत की गई। तथापि, जैसा कि ऊपर उल्लेखित है, खंडपीठ ने अपने दिनांक 18 दिसम्बर, 2008 के आदेश द्वारा अपील को निरस्त कर दिया तथा एकल न्यायाधीश के आदेश को यथावत् बनाए रखा।

9. हमने अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ई. पद्मनाभन तथा विद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सी. सेल्वराजु को सुना और तमिलनाडु अल्पसंख्यक विद्यालय (मान्यता एवं अनुदान भुगतान) नियमावली, 1977 (जिसे आगे “1977 की नियमावली” कहा गया है) के प्रासंगिक प्रावधानों तथा विभिन्न जी.ओ.एम्स., विशेष रूप से जी.ओ. (4डी) सं. 4 दिनांक 23 नवम्बर, 1991; जी.ओ.एम्स. सं. 340 दिनांक 1 अप्रैल, 1992 तथा जी.ओ.एम्स. सं. 50 दिनांक 20 जनवरी, 1995 पर विचार किया।

10. हमारे मत में, एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करने वाला खंडपीठ का निर्णय एक से अधिक कारणों से स्थिर नहीं रह सकता। प्रथम, विद्यालय के प्रबंधन ने वर्ष 1997 में पहले ही एक विनिर्दिष्ट आदेश याचिका दायर की थी, जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि राज्य सरकार और उसके अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे दिनांक 20 जनवरी, 1997 के उनके अभ्यावेदन पर विचार करें, जो कनिष्ठ सहायक के एक पद की स्वीकृति हेतु दिया गया था। इसके अनुपालन में, राज्य सरकार ने विद्यालय को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् दिनांक 3 जुलाई, 1998 को उक्त अभ्यावेदन को निम्नलिखित कारण दर्शाते हुए अस्वीकार कर दिया :

“पदों की स्वीकृति के समय, जी.ओ.एम्स. सं. 50 शिक्षा विभाग दिनांक 20-1-95 तथा जी.ओ.एम्स. सं. 340 शिक्षा विभाग दिनांक 1-4-92 में निर्धारित मानकों के अनुसार, वर्ष

1990-91 में आपके विद्यालय की छात्र संख्या 300 से कम थी। जी.ओ.एम्स. सं. 340 के आदेश स्पष्ट हैं। उसमें कहा गया है कि विद्यालय की छात्र संख्या बढ़ने पर अशैक्षणिक कर्मचारी प्रदान करना अनिवार्य नहीं है। अतः कनिष्ठ सहायक के एक पद की स्वीकृति के लिए आपका अनुरोध अनुपालन योग्य नहीं है।”

11. द्वितीयतः, जहाँ तक दिनांक 1 अप्रैल, 1992 के जी.ओ.एम्स. सं. 340 का संबंध है, वह इस मामले में बिल्कुल लागू नहीं होता। शिक्षा विभाग द्वारा जारी जी.ओ.एम्स. सं. 340 दिनांक 1 अप्रैल, 1992 में उल्लेख है : “तदनुसार, प्रश्नगत विद्यालयों (जो वर्ष 1987-88 अथवा उससे पूर्व खोले गए थे) के लिए पदों की पात्रता निर्धारित करने हेतु समिति द्वारा निम्नलिखित कर्मचारी संरचना की अनुशंसा की गई थी -” अतः, दिनांक 1 अप्रैल, 1992 का जी.ओ.एम्स. सं. 340, जिसमें पदों की स्वीकृति हेतु मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं, केवल उन उच्च विद्यालयों पर लागू होता है जो वर्ष 1987-88 अथवा उससे पूर्व खोले गए थे। वर्तमान मामले में, विद्यालय को वर्ष 1988-89 में उच्च विद्यालय में उन्नत किया गया था।

12. तृतीयतः, खंडपीठ तथा एकल न्यायाधीश दोनों ने 1977 की नियमावली के नियम 6 के उपनियम (2) की उपेक्षा की, जो इस प्रकार है : “मासिक कर्मचारी अनुदान का भुगतान केवल ऐसे योग्य एवं स्वीकृत शिक्षकों के संबंध में किया जाएगा, जो वास्तव में अल्पसंख्यक विद्यालयों में कार्यरत हों और जिनकी नियुक्तियाँ संबंधित संस्थानों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित की गई हों।” निस्संदेह, वर्तमान मामले में विद्यालय प्रबंधन ने सुश्री रोसरी को एक अस्वीकृत पद पर कनिष्ठ सहायक के रूप में नियुक्त किया था। प्रबंधन द्वारा यह स्पष्टीकरण कि उनकी नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी के आदेशों की प्रत्याशा में की गई थी, स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

13. चतुर्थतः, संबंधित जी.ओ.एम्स. में निर्धारित मानकों के अनुसार, वर्ष 1990-91 में विद्यालय की छात्र संख्या 300 अथवा उससे अधिक होनी चाहिए थी, जबकि उस वर्ष विद्यालय की छात्र संख्या केवल 281 थी। वस्तुतः, यह विद्यालय प्रबंधन का मामला भी नहीं है कि वर्ष

1990-91 में छात्र संख्या 300 या उससे अधिक थी। वर्ष 1993-94 तथा उसके पश्चात् के वर्षों की छात्र संख्या का कोई महत्व नहीं है। यहीं उच्च न्यायालय ने गंभीर त्रुटि की, क्योंकि संबंधित जी.ओ.एम्स. के अनुसार महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 में छात्र संख्या 300 अथवा उससे अधिक होनी चाहिए थी।

14. पंचमतः, उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 1970 के जी.ओ.एम्स. 245/शिक्षा पर किया गया भरोसा अनुचित है, क्योंकि उक्त जी.ओ. उन लिपिकों पर लागू होता था जो वर्ष 1964 के आसपास पहले से कार्यरत थे, और उसका वर्ष 1988-89 में एक अस्वीकृत पद पर नियुक्त कनिष्ठ सहायक पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।

15. अंत में, परंतु कम महत्वपूर्ण नहीं, उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ता सं. 1 को दिनांक 1 जून, 1994 से उत्तरदाता सं. 1 — ए.ए.एच.एस. विद्यालय के लिए कनिष्ठ सहायक का एक पद स्वीकृत करने का निर्देश देकर त्रुटि की, क्योंकि उसने इस तथ्य की उपेक्षा की कि पदों का सृजन और स्वीकृति कार्यपालिका का विशेषाधिकार है और न्यायालय स्वयं को पूर्णतः कार्यपालिकीय शक्ति से युक्त नहीं कर सकते।

16. तदनुसार, यह अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

एन.जे.

अपील स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता ।

समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।